न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 64/2016

अपीलान्ट्स

कानाराम पुत्र जेठाराम, जाति मेघवाल, निवासी ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 12.08.2016 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर बमुकदमा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2016 बअनवान प्रार्थी राज्य सरकार जरिये पटवारी बनाम अप्रार्थी कानाराम, जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट को ग्राम सर के खसरा नं0 545 की सरकारी गै0 मु0 लाटा भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व शास्ति से दण्डित करने का आदेश दिया के विरूद्ध।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रामप्रताप चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई अनुपस्थित नहीं।

–: आदेश :– दिनांक :– 22.07.2019

अपीलान्ट अभिभाषक ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आदेश दिनांक 12.08.2016 पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर बमुकदमा राजस्व प्रकरण संख्या 08/2016 बअनवान राज्य सरकार जरिये पटवारी बनाम कानाराम, जिसके द्वारा उन्होनें अपीलान्ट को ग्राम सर के खसरा नं0 545 की सरकारी गै0 मु0 लाटा भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने व शास्ति से दण्डित करने का आदेश दिया के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी, सरेचा ने एक लिखित रिपोर्ट तहसीलदार, लूणी के समक्ष दिनांक 15.07.2016 को प्रस्तुत की कि मौजा ग्राम सर के खसरा संख्या 545 रकबा 0.06 बिस्वा, किस्म गै0 मु0 लाटा पर कानाराम ने कब्जा कर अतिचार किया है। पटवारी की इस रिपोर्ट पर तहसीलदार, लूणी ने मुकदमा दर्ज कर अप्रार्थी/अपीलान्ट कानाराम को दिनांक 28.07.2016 को नोटिस जारी किया। अप्रार्थी/अपीलान्ट की ओर से दिनांक 28.07.2016 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत कर अभिकथ[illegible] के खसरा सं0 545 रकबा करीब 15 बीघा पर 20 सालों से कच्ची [illegible] हुई है, जिसमें 20–25 परिवारों का रहवास है। इन परिवारों [illegible]/अप्रार्थी के पुत्र लादुराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested

भी है। अपीलान्ट/अप्रार्थी के पुत्र लादुराम का खसरा संख्या 545 में 7 बिस्वा भूमि पर बाड़ा व रहवासीय झूठा है, जिसमें लादुराम व उसके बच्चे रहते है। लादूराम के पास इस भूखण्ड के अलावा अन्य कोई भूखण्ड गांव में नहीं है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का पुत्र शादीशुदा है और अलग ही रहता है। अपीलान्ट के पुत्र का कब्जा संवत् 2045 से पहले का चला आ रहा है, जो खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है। खसरा परिवर्तनशील की नकल साथ में पेश है। अपीलान्ट/अप्रार्थी की ओर से उक्त जवाब पेश करने के तदोपरान्त तहसीलदार, लूणी ने अपने आदेश दिनांक 12.08.2016 जैर अपील द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी को राजकीय भूमि ग्राम सर के खसरा नं0 545 रकबा 0.06 बीघा गै0 मु0 लाटा पर अतिक्रमी घोषित कर दिया और उसके विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में तथ्यात्मक स्थिति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् रूप से अप्रार्थी/अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी/अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.07.2016 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से एतद खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.10.27 16:50:25 IST
Reason: SelfAttested